30.11.2024

निर्णय
20.9.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

[2024/568]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

नीलम सहारण आदि बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 64 वर्ष 2024

मुकदमा किस्म -- रास्ता स्वीकृति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.08.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 30.08.2024 को पेश हो।	
30.8.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित/PU आदि ... पत्रावली ... दिनांक 20.9.2024 को पेश हो	
20.9.2024	वकलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 64 / 2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :–

1. नीलम सहारण पत्नी हरवीरसिंह जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. शांतिदेवी पत्नी रामजस जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी कुलचासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. निरमा पत्नी भूपेन्द्र कुमार जाति खाती निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति नाई निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अर्जनलाल वर्मा वकील –प्रार्थीगण
राजपेरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 20-9-2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थीगण ने दिनांक 28.08.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लू के खसरा नम्बर 205 / 157 मे 1.3026है0 भूमि स्थित हैं, जिस पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की खातेदारी कृषि भूमि भी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चिपते ही दक्षिणी तरफ खसरा न0 203 / 157 की 0.6512है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, इस कारण प्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 अपनी कृषि भूमि मे प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा न0 205 / 157 की पूर्वी सीवं पर 30 फुट चौड़े एवं 235 फुट उतर से दक्षिण लम्बे रास्ता अर्थात 0.065 है0 जो खसरा संख्या 158 / 27 के चिपते ही हैं जो नजरिया नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, से होते हुए आवागमन करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने नाम की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के पश्चिमी हिस्से में प्रार्थी संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 203 / 157 की उतरी पूर्वी सींव पर बने 30 फुट चौड़े एवं 350 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बे अर्थात 0.098 है0 भूमि में बने रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे हैं, जो नजरिया नक्शा में पिले रंग से दर्शाया गया हैं। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मे आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित चालु रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक व मंजुर शुदा व नजदीक रास्ता नहीं हैं। उक्त रास्ता ही सबसे नजदीक रास्ता हैं, इस [illegible] को कई बार कहा कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 205 / 157 में [illegible] 30 [illegible] 235 फुट भूमि की कीमत प्रार्थी संख्या 3 ता 5 से प्राप्त [illegible] 3 ता 5 ने खसरा नम्बर 203 / 157 में चालु रास्ता 350 गुणा 30 फुट की कीमत प्रार्थी संख्या 1 व 2 से प्राप्त कर ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner

है इसलिए उक्त दोनो चालु रास्तो को स्वीकृत कर स्वीकृत शुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर देवे अप्रार्थी आज कल–आज कल करता रहा आखिर आज से सात रोज पूर्व अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की उक्त बात मानने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि न्यायालय के आदेश लेकर आओं। यही कारण प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल नजरी नक्शा रेखराखासर ख.नं. 205/157, 203/157 पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार ने जबाब प्रस्तुत किया। अपने जबाब में राजपेरोकार ने प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 को रिकार्ड की हद तक स्वीकार, शेष सिद्ध करने का भार वादी पर, मद सं. 2 को लाईल्मी, सिद्ध करने का भार वादी पर, मद सं. 3 को कानूनी होना बताते हुए जबाब के अन्त में राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थीगण ने जमाबन्दी रेखराखासर बहक नीलम सहारण वगैरह पेश किये।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता को स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि ग्राम रेखराखासर तहसील पल्लु के खसरा न0 205/157 की पूर्वी सीवं पर 30 फुट चौड़े एवं 235 फुट उत्तर से दक्षिण लम्बे रास्ता अर्थात 0.065 है0 जो खसरा संख्या 158/27 के चिपते ही हैं जो नजरिया नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, व प्रार्थी संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 203/157 की उतरी पूर्वी सींव पर बने 30 फुट चौड़े एवं 350 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बे अर्थात 0.098 हैं0 भूमि में बने रास्ता जो नजरिया नक्शा में पिले रंग से दर्शाया गया हैं, को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 20.9.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:23:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner